संख्या-105/2022/773(ए)/001-23-10-22-52-सा0-2022

प्रेषक,

अभय कुमार ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ **दिनांक 09 सितम्बर,2022**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के कुल 09 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-99/2022/773(1)/001-23-10-22-52-सा0-2022 दिनांक 02 -09-2022 को निरस्त करते हुये कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-1066/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/एम0बी0डी0/2022-23 दिनांक 09.08.2022 एवं पत्रांक-1122/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/एम0बी0डी0/2022-23 दिनांक 18.08.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के कुल 09 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्यों के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित लागत कुल धनराशि रू0 1520.17 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ बीस लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/ जनपद	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मुरादाबाद	नि.ख.-2 बिजनौर	जनपद बिजनौर में नजीबाबाद झक्काकी जोगी रम्पुरी नेकपुर मार्ग के किमी-6 में कटैनी नदी पर लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	173.41	71.12	102.29	3.65	0.00	98.64	**42.22**	**11.37**	**53.59**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/ जनपद	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	मुरादाबाद	प्रा.ख. बिजनौर	जनपद बिजनौर में ठेठ पपसरी मार्ग पर बाहे पर(बरसाती नदी) लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।	307.25	303.53	3.72	0.84	0.00	2.88	**2.27**	**0.61**	**2.88**
3	मुरादाबाद	प्रा.ख. बिजनौर	जनपद बिजनौर में ग्राम अलावलपुर उद्दा में छोईया पुल पर बॉक्स कल्वर्ट, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	141.57	126.46	15.11	8.87	0.00	6.24	**4.92**	**1.32**	**6.24**
4	मुरादाबाद	नि.ख. रामपुर	जनपद रामपुर में मिर्जापुर से मोहनपुर मार्ग के नाले पर 7.10 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया एवं 600 मी0 एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य।	59.85	55.91	3.94	0.11	0.00	3.83	**3.02**	**0.81**	**3.83**
5	मुरादाबाद	नि.ख. रामपुर	जनपद रामपुर में ग्राम नगला ऊदई से श्यामपुर मार्ग पर ब्लाक मिलक में खडिया(नाहल) नदी पर पुल निर्माण कार्य।	112.20	82.77	29.43	3.49	0.00	25.94	**20.44**	**5.50**	**25.94**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/ जनपद	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	मुरादाबाद	प्रा.ख. रामपुर	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में धीमरी नदी पर श्री नगर व ग्राम सिहोर के मध्य आर0सी0सी0 लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	211.70	5.00	206.70	0.73	0.00	205.98	**145.61**	**39.20**	**184.81**
7	मुरादाबाद	सेतु निगम रामपुर	जनपद रामपुर में कोसी नदी/ खौंद टांडा मार्ग (लालपुर डैम) पर दीर्घ सेतु	3432.60	1740.97	1691.63	79.27	0.00	1612.36	**609.86**	**164.17**	**774.03**
8	मुरादाबाद	सेतु निगम रामपुर	जनपद रामपुर में विकास खण्ड मिलक के ग्राम चैनपुर में सैजनी नदी पर सेतु पहुँच मार्ग अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण।	931.63	587.27	344.36	13.14	0.00	331.22	**187.58**	**50.50**	**238.08**
9	मुरादाबाद	सेतु निगम रामपुर	जनपद रामपुर में तहसील बिलासपुर में ग्राम केवलपुर से कजियापुर के बीच भाखडा नदी पर सेतु पहुँच मार्ग अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	892.25	562.66	329.59	9.60	0.00	319.99	**181.82**	**48.95**	**230.77**
			योग -	**6262.46**	**3535.69**	**2726.77**	**119.70**	**0.00**	**2607.08**	**1197.74**	**322.43**	**1520.17**

अवमुक्त कुल धनराशि रू0 1520.17 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ बीस लाख सत्रह हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 11,97,74,000 (रुपये ग्यारह करोड सत्तानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखाशीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 3,22,43,000(रुपये तीन करोड बाइस लाख तिरालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-105/2022/773(ए)/001-23-10-22-52-सा0-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।